कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।

दिनांक अप्रैल 25, ,2013

"नीलामी सूचना"

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित विभिन्न दुकानों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए पुनः दिनांक 04.05.2013 को 2.00 बजे दिन में बहुमंजिली भवन में स्थित न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष सं0-2, में होगी। इच्छुक व्यक्ति कार्यालय अवधि में केन्द्रीय नाजिर, नजारत अनुभाग से विवरण प्राप्त कर सकते है।

1- साइकिल स्टैण्ड

2- चाय मिठाई/जलपान की दुकान

3- फास्ट फूड एवं चाय काफी की दुकान

4- फोटोग्राफर की दुकान

5- फल/जूस की दुकान

6- स्टेशनरी एवं जनरल मर्चेन्ट की दुकान

नीलामी की शर्तें:-

1- जो व्यक्ति/संस्था रू0-5,000/- नगद प्रतिभू की धनराशि जमा करेगा, वही व्यक्ति नीलामी बोली में भाग ले सकेगा।

2- जो व्यक्ति/संस्था बोली के समय उपस्थित नहीं होगा, उस व्यक्ति द्वारा जमा प्रतिभू की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

3- नीलामी बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति/संस्था अपने पहचान का प्रमाण पत्र जो अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, दाखिल करेगा।

4- नीलामी स्वीकृत होते ही नीलामी की कुल धनराशि का 50% धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।

5- शेष नीलामी की धनराशि तीन माह में जमा करनी होगी, प्रतिभू के रुप में जमा धनराशि का समायोजन पूर्ण धनराशि में कर लिया जायेगा।

6- शेष धनराशि तीन माह में जमा न करने की दशा में ठेका रद्द माना जायेगा तथा प्रतिभू एवं 50% जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

7- जिन व्यक्तियों/संस्थाओं को ठेका दिया जायेगा, उनका यह दायित्व होगा कि वह अपनी दुकान का निर्माण निजी व्यय पर अस्थाई रूप से करेंगे, एंव साफ सफाई, साज-सज्जा आदि स्वयं करेंगे तथा उनका ठेका समाप्त होने पर, वह अपनी दुकान तत्काल परिसर से हटा लेंगे, अन्यथा उनकी दुकानें, उनके व्यय पर न्यायालय द्वारा हटवायी जायेंगी।

8- नीलामी के समस्त अधिकार समिति के अधीन होगें, एंव नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/संस्था तद्समय जारी निर्देशों के प्रति बाध्यकारी होगें।

आज्ञा से

25.4.13

प्रभारी अधिकारी नजारत/सदस्य,
अपर जनपद न्यायाधीश,इलाहाबाद।

प्रभारी अधिकारी नजारत
अपर जिला जज - इलाहाबाद